न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–262/2019

लोरिक यादव एवं अन्य...वादीगण

बनाम

शेषनाथ यादव एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
25.05.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 14.06.2022 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 14.06.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है। वादीगण की तरफ से श्रीमान् अपर मुख्य न्यायीक दण्डाधिकारी श्री एस0डी0 भारती के न्यायालय से पुलिस केश न0–81/2018 के आदेश फलक की सच्ची प्रतिलिपि एवं बलथर थाना काण्ड सं0–81/2018 की प्राथमिकी तथा लोरिक यादव द्वारा थाना अध्यक्ष बलथर के यहॉं दाखिल आवेदन दिनांक 18.06.2018 की सच्ची प्रतिलिपि एवं बलथन थाना काण्ड सं0–81/2018 के अंतिम प्रपत्र की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल की गयी है। जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि आवेदन में वर्णित दाखिल कागजातों को न्यायहित में प्रदर्श अंकित करने की कृपा करे। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप	

लगातार 25.05.2023	से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आना प्रतीत होते है। अतः वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करे तथा वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तिथि को बहस हेतु तैयार आवें। आगामी दिनांक 05.06.2023 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	